ईमेल / फैक्स / डाक

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–7, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः R-316/7–आ0आ0बी0यो0(साफ्टवेयर)/2014, दिनांकः 02 मई, 2016

विषयः **आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत जनपदों में आ रही समस्याओं के निराकरण कराये जाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही कराये जाने हेतु इस योजना के लिये पृथक ई–मेल खोले जाने के संबंध मे।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. राजस्व परिषद द्वारा, आयोजित की जाने वाली अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की मासिक समीक्षा बैठकों में प्रायः विभिन्न प्रकार की समस्याओं को इंगित किया जाता है। ऐसी समस्यायें यदि राजस्व परिषद को तत्काल प्राप्त हो सकें तो ऐसी स्थिति में राजस्व परिषद द्वारा त्वरित कार्यवाही करायी जा सके। परन्तु यह संज्ञान में आता है कि जनपदों द्वारा सामान्य डाक के माध्यम से ऐसे सन्दर्भों को राजस्व परिषद भेजा जाता है जिस कारण उन्हें प्राप्त होने में पर्याप्त समय लगता है। ऐसी दशा में समस्याओं के निराकरण कराये जाने में अधिक समय लगता है।

3. उपर्युक्त के क्रम में राजस्व परिषद द्वारा आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुये इस योजना के लिये पृथक से एक ई–मेल एकाउन्ट खोला गया है। इसका पता–**aabybor@gmail.com** है। इस ई–मेल एकाउन्ट पर मात्र आम आदमी बीमा योजना के ही सन्दर्भ प्राप्त किये जायेंगे। इन सन्दर्भों के प्राप्त होने पर यदि समस्या का निराकरण राजस्व परिषद स्तर से होना है, तो परिषद स्तर से इसका निराकरण कराया जायेगा और यदि भारतीय जीवन बीमा निगम के स्तर से होना है तो भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर से इसका निराकरण कराया जायेगा।

4. उपरोक्त ई–मेल पर जनपदीय कठिनाइयों का पूर्ण सूचना के साथ प्रेषण हेतु नामित जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(धीरज साहू)
आयुक्त एवं सचिव।